न्यायालय :– अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

20.08.2016 मद्य निषेध थाना अप्राथमिकी सं0– 535/2016 धारा–37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम–2016–2022 दर्ज होकर प्राप्त हुआ। देखा। इसे पंजीकृत करें।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।

वादग्र
20.08.2016 स0 अ0 नि0 मद्य निषेध थाना द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार उम्र–करीब 34 वर्ष, पे0– नारायण सहनी सा0– शाहपुर वार्ड नं. 08 थाना– शिवहर जिला– शिवहर को गिरफ्तार कर मार्गरक्षी दल के सदस्यगण चौ0 BHG नागेश्वर राम एवं अन्य के संरक्षण में विहित प्रपत्र –VI को भरकर गिरफ्तारी मेमों, ब्रेथ ऐनलाइजर टेस्ट की मूल प्रति, चिकित्सीय जॉच की प्रति के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त रास्ते में मार्गरक्षी दल के सदस्यगण के विरूद्ध किसी दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करते है और ना हीं किसी मुफ्त कानुनी सहायता की याचना करतें है। अभियुक्त से पूछने पर बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दे दी गई है। अभियुक्त के बदन पर कोई भी चोट या जख्म का स्पष्ट निशान नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद धारा–37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम–2016–2022 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है। अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है तथा कथन करता हैं कि वह उसका पहला अपराध हैं। पु0 अ0 नि0 ने भी विहित प्रपत्र– VI में अभियुक्त के पहला अपराध को अंकित किया है। अभियुक्त द्वारा विहित प्रपत्र– VI-(क) को भरकर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। अतएव, धारा–37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 एवं बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम–2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र– VII में आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।

वादग्र
20.08.2016 उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि मो0– 2300/– (दो हजार तीन सौ) चालान के माध्यम से नजारत रसीद सं0– 4673, दिनांक– 20.08.2016, एवं चालान सं0– 476/16.27 दिनांक– 20.08.2016 के द्वारा जमा की गई है। तदनुसार इस वाद में अभियुक्त रमेश कुमार के विरूद्ध लगे आरोप धारा–37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम–2022 का वाद निष्पादित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख, अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।

प्रपत्र–VII
आदेश -- पत्र के लिए फॉर्मेट
(नियम 18 देखें)

अनन्य विशेष न्यायाधीश, के न्यायालय में..
केश नं0–......535/21.........
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016
1. अभियुक्त का नाम राजेश कुमार
2. उम्र 34 वर्ष
3. पिता का नाम नारायण सहनी
4. पता ग्रा0- श्यामपुर, वार्ड-08, थाना+जिला-शिवहर
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान 19/08/26, 19:26, मधुरापुर
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि 20/08/26

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/मद्यनिषेध पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के बिरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक--19.08.26को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह.....मधुरापुर.................(स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपयोग किया गया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैनें उसका बयान दर्ज किया।

अभियुक्त से पुछा गया की क्या वह दोषी होने का वचन करता है उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित हैं।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधीन.................9300..............रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर .....30.........................दिनों के कारावास भोगने की दंडादेश दिया जाता है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश, (उत्पाद),
शिवहर।

तिथि:– 20.08.2026
स्थान:– शिवहर